न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या : अपील/डिक्री/टीए/3891/2004/दौसा

1. ग्यारसा पुत्र चन्द्रा जाति माली
2. चन्दा पुत्र भूरा जाति माली
3. रामसहाय पुत्र धन्ना जाति कोली
4. धन्ना पुत्र ग्यारसा जाति कोली

–समस्त निवासीगण ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा

.....अपीलांट्स/प्रतिवादीगण

बनाम

1. प्रभात्या पुत्र चीमा जाति कोली निवासी ग्राम खटवा तहसील लालसोट जिला दौसा
2. राजस्थान सरकार।

.....रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ
श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा, सदस्य

उपस्थितः–

श्री जे.पी.माथुर, अधिवक्ता, अपीलांट्स।
श्री अजीत लोढा, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ।

निर्णय

दिनांकः– 14–01–2020

यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प–दौसा द्वारा अपील सं. 58/1998 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–07–2004 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर लालसोट दौसा के समक्ष रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी ने एक वाद

बाबत हुक्मइम्तनाई दवामी ग्राम खटवा स्थित विवादित आराजियात खसरा संख्या 408/608 रकबा 5 बीघा एवं खसरा संख्या 408/619 रकबा 3 बीघा भूमि के संबंध में अपीलार्थीगण व राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादीगण ने अपना जवाबदावा पेश कर वाद के कथनों को अस्वीकार कर वाद/वादी को अपास्त किए जाने का निवेदन किया। कालान्तर में विचारण न्यायालय ने दावे व जवाबदावे के आधार पर विचाराधीन वाद में 5 विवाद्यक कायम करते हुए वाद/वादी को सिद्ध नहीं होना प्रकट करते हुए आज्ञा दिनांक 24–08–1998 से खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने प्रथम अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर कैम्प–दौसा के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–07–2004 द्वारा स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलान्ट्स/प्रतिवादीगण ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की अपील के संबंध में बहस सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स/प्रतिवादीगण ने आक्षेपित निर्णय व डिक्री को विधि के प्रतिकूल बताया है। उनका कहना है कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण की फर्जी तामील दर्शाकर आक्षेपित निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है। आगे बताया कि भूमि की तरमीम गलत होने बाबत वादी ने किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं की है। यहीं नहीं न्यायालय ने माना कि नक्शा शीट में जो तरमीम हुई है उसके अनुसार प्रश्नगत रकबा अपीलार्थीगण के कब्जेकाश्त में है, जो कि विधिवत है। इस कारण जब वादी द्वारा तरमीम को गलत सिद्ध नहीं किया गया तो वादी की अपील निरस्त होने योग्य थी। इसके विपरीत आक्षेपित निर्णय गिरदावर की रिपोर्ट को आधारित करके पारित किए जाने के कारण त्रुटिपूर्ण है। उनका आगे कहना है कि वादी ने भूमि के आवंटन

आदेश व कब्जा सुपुर्दगी आदि दस्तावेज पेश नहीं किए, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि वह भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। उनका तर्क है कि मामले में पेश राजस्व रेकार्ड से यह परिलक्षित होता है कि प्रश्नगत रकबा प्रतिवादी की खातेदारी एवं कब्जाकाश्त की भूमि खसरा संख्या 408/631 व 408/632 है। उक्त साक्ष्य के विपरीत वादी ने किसी प्रकार की साक्ष्य पेश नहीं की है। सारांशतः हस्तगत प्रकरण में विचारण न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड का विधिवत परीक्षण कर अपना निर्णय पारित करते हुए वादी के वाद को सिद्ध नहीं होना प्रकट करते हुए अपास्त कर दिया तो ऐसे निर्णय के विरूद्ध पेश की गयी अपील में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने केवल मात्र गिरदावर की रिपोर्ट को आधारित कर आक्षेपित निर्णय पारित कर अनियमितता की है, जबकि आलोच्य गिरदावर की रिपोर्ट प्रदर्श नहीं की गई थी। उनका यह भी तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय विवाद्यकवार पारित नहीं कर आदेश 41 नियम 31 सीपीसी के प्रावधित प्रावधानों की अवहेलना की है। सारांशतः प्रश्नगत रकबे बाबत वादी को कोई हक व अधिकार नहीं है। उक्त समस्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार कर भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर कैम्प–दौसा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–07–2004 को अपास्त करते हुए उपखण्ड अधिकारी लालसोट द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24–08–1998 को यथावत बहाल रखे जाने निवेदन किया।

5. इसके विपरीत वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत द्वितीय अपील का विरोध करते हुए आक्षेपित निर्णय को विधि सम्मत होना कहा है। उनका कहना है कि सहायक जिला कलक्टर लालसोट एवं तहसीलदार लालसोट के आदेशानुसार मामले में रिपोर्ट तैयार की गई है, उक्त रिपोर्ट के अनुसार जो भूमि वादी को आवंटित की गयी थी उसका वादी खातेदार काश्तकार है तथा तरमीम करके उसको कब्जा सुपुर्द किया गया है तथा पटवारी द्वारा पुराना नक्शे को बदलकर नया

नक्शा बनाया गया है और तरमीम में रद्दोबदल किया गया है। इस तथ्य पर विचारण न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया। यहीं नहीं आराजी पर वादी का कब्जा और खातेदारी होते हुए भी विचारण न्यायालय ने उनके वाद को स्वीकार नहीं किया। उनका आगे कहना है कि प्रश्नगत रकबे का वादी के पक्ष में नियमानुसार आवंटन किया गया है तथा आवंटन के बाद भूमि का कब्जा सुपुर्द किया गया, परन्तु प्रतिवादीगण ने कानूनगों से सांठ–गांठ कर पुराने नक्शे को गायब कर नया नक्शा बनाकर अपीलार्थी की भूमि को गलत स्थान पर अंकित करते हुए वादी का कब्जा उसकी भूमि पर नहीं बतलाकर अन्य स्थान पर बताने की कार्यवाही की जा रही है। उक्त स्थिति में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उपलब्ध सम्पूर्ण रेकार्ड का विधि के परिप्रेक्ष्य में विश्लेषण करते हुए आक्षेपित निर्णय पारित किया है, जिसमें द्वितीय अपील के स्तर पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। सारांशतः मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत द्वितीय अपील खारिज कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अध्ययन, अवलोकन एवं मूल्यांकन किया है।

7. पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने से स्पष्ट है कि वादी/रेस्पोडेन्ट ने वाद इस अनुतोष के साथ पेश किया कि जिस जगह प्रतिवादी की खातेदारी खसर संख्या 408/631 व खसरा संख्या 408/632 की तरमीम नक्शे में है। वास्तव में उस जगह वादी की खातेदारी की भूमि है। उक्त वाद का प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश कर अंकन किया कि मौके पर आंवटन के बाद वादी एवं उसके पिता को कब्जा दिया गया, उस जगह काबिज नहीं रहकर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि खसरा संख्या 408/632 व 408/631 पर अब जबरन कब्जा करना चाहता है। मूल वाद में विचारण

न्यायालय ने 7 विवाद्यक कायम कर प्रत्येक विवाद्यक को विरचित करते हुए उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर आज्ञा दिनांक 24-08-1998 पारित करते हुए वादी का दावा सिद्ध नहीं होना प्रकट करते हुए खारिज किया है।

8. उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध वादी/रेस्पोडेन्ट ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर कैम्प-दौसा के समक्ष प्रथम अपील पेश की। उक्त अपील में प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए, तदनुसार न्यायालय ने उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही संयोजित की। कालान्तर में प्रथम अपीलीय न्यायालय ने वादी की एकपक्षीय बहस सुनकर आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 29-07-2004 पारित करते हुए अपील को स्वीकार कर तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त किया। हस्तगत मूल वाद की कार्यवाही के दौरान विचारण न्यायालय ने विवेचित किया कि वादी द्वारा नक्शा ट्रेस की प्रति, आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति, कब्जा सुपुर्दगी की प्रति न्यायालय के समक्ष पेश नहीं की है, जिससे यह साबित होता हो कि वादी वर्ष 1970 से काबिज रहकर भूमि पर काश्त करता आ रहा है। तदनुसार वादी का वाद खारिज किया गया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में विवेचित किया कि सहायक कलक्टर लालसोट द्वारा दिनांक 10-07-1991 को तैयार की गयी मौके की रिपोर्ट जो तहसीलदार द्वारा सहायक कलक्टर लालसोट को भिजवायी गयी थी, जिसके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी/वादी प्रश्नगत रकबे का खातेदार काश्तकार है तथा उस पर उसका कब्जा है। ऐसी स्थिति में उसका दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का सिद्ध है। तदनुसार आक्षेपित निर्णय पारित कर वादी के वाद को स्वीकार किया है।

9. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने आक्षेप उठाया कि आवंटन के बाद भूमि की मौके पर तरमीम करके वादी को कब्जा संभला दिया गया परन्तु अपीलार्थी संख्या 1 लगायत 4 राजकीय कानूनगो से सांठ-गांठ कर पुराने नक्शे को गायब कर नया नक्शा बनाकर वादी की भूमि को गलत स्थान

पर अंकित करते हुए वादी का कब्जा उसकी भूमि पर नहीं बताकर अन्य स्थान पर बताने की कार्यवाही की जा रही है।

10. विधायिका की भावना के अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा के वाद में वादी को आराजी पर अपने कब्जे को प्रलेखीय साक्ष्य से प्रमाणित कराना आज्ञापक है। मामले में वादी पक्ष द्वारा मूल नक्शे को गायब करना कथित कर रहा है वहीं प्रतिवादीगण का आक्षेप रहा है कि आराजी मुतनाजा वादी के पिता को जिस जगह भूमि आवंटित की गई थी, उस जगह वह काबिज नहीं रहकर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि खसरा संख्या 408/632 व 401/631 पर जबरन कब्जा करना चाहता है तथा उसका मुताबिक नक्शा ट्रेस से उनकी भूमि से किसी प्रकार का संबंध नहीं है।

11. चूँकि मामले में पक्षकारान द्वारा आपत्ति की गई है कि तरमीम को बदल दिया गया है। इस प्रकरण में मुख्य विवाद यह है कि ''आया आवंटन के बाद प्रश्नगत रकबे की बंदोबस्त विभाग द्वारा तरमीम की गई है अथवा नहीं, इस बाबत संबंधित तहसीलदार से भूमि की तरमीम के बारे में अभ्यावेदन का अभाव है। इसके अतिरिक्त पुराने व नये नक्शे का परीक्षण किया जाना भी विधि सम्मत पाया जाता है। इस बिन्दु का निस्तारण पुराने नक्शे व नये नक्शे का मिलान कर, सुपर इम्पोज कर मौके की जांच कर ही विधिवत रूप से किया जा सकता है। इन सभी तथ्यों की जांच कर उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधिनुसार निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है ताकि सही न्याय हो सके। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने बिना पुराने व नये नक्शे का मिलान कर, सुपर इम्पोज कर कयास के आधार पर निर्णय पारित किए है, जिसका हम समर्थन नहीं कर सकते।

12. परिणामतः प्रस्तुत द्वितीय अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय निरस्त किए जाते है। प्रकरण निर्णय के पैरा संख्या 11 में किए गए विवेचन

अनुसार विधिनुसार पुनः निर्णय पारित करने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने बाबत आदेशित किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य